COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

216

-1-

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

R628-I-17

जयकुमार यादव पिता श्री माखन यादव
निवासी मुहाल नं.2 सदर वाजार सागर
..........आवेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 9-2-17 को प्रस्तुत

9-2-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

//विरूद्ध//

म०प्र० शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदकगण ने न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रकरण क्रमांक 31अ/67/15–16 में पारित आदेश दि. 06–12–2016 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खनिज निरीक्षक द्वारा दिए आवेदन के आधार पर आवेदक के विरूद्ध अवैध उत्खनन की कार्यवाही म.प्र. भू.रा.संहिता की धारा 247(7) के तहत अमल में लायी जाकर राशि अधिरोपित करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया है। जबकि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.10.2016 के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत किया था जिस ग्राह्य किए जाने के उपरांत भी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत न कर एकपक्षीय कार्यवाही एवं साक्ष्य लेते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक...निग०. 628-एक./2017..जिला .... सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09.02.17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित उन्होंने निवेदन किया है कि अनुविभागीय अधिकारी के इसी प्रकरण कमांक 31 अ–67/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 06.12.2016 के पूर्व अंतरिम आदेश 28–10–2016 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की थी जो सम्मानीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड संलग्न है। इस कारण इस निगरानी को पूर्व में विचाराधीन प्रकरण के साथ संलग्न किया जाकर निराकृत किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अनुरोध स्वीकार किया जाकर यह निगरानी पूर्व में प्रचलित निगरानी के साथ निराकरण हेतु संलग्न की जाती है। सदस्य	

[कृ. प. उ.